...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
webcopy - Not official

...न सख्या : 171/2015

1. भैरूलाल पुत्र } पुत्रान केशरीलाल जाति धाकड निवासी पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला
2. बाबूलाल पुत्र } बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रतना पुत्र किशना जाति बलाई निवासी पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
दायरा दिनांकः 03.09.2015 निर्णय दिनांक : 29.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के गेरखातेदारी की आराजी खाता 272 खसरा संख्या 30/1043 ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल में स्थित है जो वादीगण को अपने पिता केशरीलाल से विरासत में प्राप्त हुयी है। जिसमें वादीगण की बहिनो का नाम भी शामलाती रूप से दर्ज है। वादीगण के पिता केशरीलाल की मृत्यु होने पर वादीगण के नाम विरासत दर्ज की गयी है तथा वर्तमान जमाबंदी में उक्त विवादित आराजी वादीगण व उनकी बहिनों के नाम खाते दर्ज है किन्तु सहवन से उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड वादीगण के नाम के साथ प्रतिवादी कम 1 रतना का नाम भी अंकित हो गया जबकि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी कम 1 रतना का किसी प्रकार का संबंध नही है इसलिए वादीगण उपरोक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी कम 1 का नाम डिलिट करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि खाता 272 खसरा संख्या 30/1043 ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल में से वादीगण के नाम के साथ दर्ज प्रतिवादी कम 1 रतना का नाम खाते से डिलिट किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 03.09.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह गौड, श्री लवकुल गौड ने दिनांक 04.01.2016 को वकालत नामा प्रस्तुत किया परन्तु आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार द्वारा अपने पत्र कमांक/40 दिनांक 27.06.2018 से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर)

सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम पाकलखेडा राजस्व रेकार्ड सम्वत 2044–2063 के खाता ... में खसरा नं0 30/1043 रकबा 0.08 है0 केसरीलाल पुत्र कल्याण कोम धाकड सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। मृतक केसरीलाल के दो पुत्र भैरूलाल, बाबुलाल व तीन पुत्रियां कन्या, चतरी, सुरज्या मौजूद है। लेकिन वर्तमान रेकार्ड सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 257 पर रतना पुत्र किशना जाति बलाई लिपिकीय अशुद्धिवश गलत तरीके से दर्ज है। अतः वर्तमान खाते में उक्त गलत इन्द्राज "रतना पुत्र किशना जाति बलाई" खारिज किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी के अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा की दिनांक 28.08.2018 को बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उन्होने अपने वाद पत्र में अंकन किया है। तहसीलदार मांगरोल जो कि लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पाकलखेडा राजस्व रेकार्ड सम्वत 2044–2063 के खाता 58 में खसरा नं0 30/1043 रकबा 0.08 है0 केसरीलाल पुत्र कल्याण कोम धाकड सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। मृतक केसरीलाल के दो पुत्र भैरूलाल, बाबुलाल व तीन पुत्रियां कन्या, चतरी, सुरज्या मौजूद है। लेकिन वर्तमान रेकार्ड सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 257 पर रतना पुत्र किशना जाति बलाई गलत तरीके से दर्ज है अतः ग्राम पाकलखेडा की खाता 58 में खसरा नं0 30/1043 रकबा 0.08 है0 में दर्ज गलत इन्द्राज "रतना पुत्र किशना जाति बलाई" हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसके अलावा शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गय